

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज न्यायालय उपखण्ड इलाहाबाद जिला कन्हैयालाल ब्राह्मण वर्कस कनाद वाचुलाल वर्कस क्रि.सं- 171/13	न अह हुक्म में
----------------	--	-------------------------

बरहाजिर / पत्रावली वाक जवाब पाया हेतु दि
 30-1-18 को पेश है

30/1/18 पत्रावली पेश हुई। उपपक्ष का अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी
 सं. 2 व 3 का क्र. 2 से जवाब प्रस्तुत। प्रतिवादी को बाप रसीद
 दी गई। पत्रावली वाकते लगकी दिनांक 20-3-18 को पेश है।

(Handwritten signatures and notes on the left margin)

04.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम खेडलिया में
 पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता द्वारा शिविर के दौरान उपस्थित
 होकर इस मौजूदा वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं
 चाहने का कथन केम्प कोर्ट के समक्ष रखते हुए प्रमाण में
 आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन हस्ताक्षर किये गये। ऐसी
 स्थिति में इस वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
 रह जाती है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.
 टी.एक्ट को वादी द्वारा नोट प्रेस किये जाने से ड्रॉप किये जाने
 के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर
 हो।

(Handwritten signature)